कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 267/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 10.07.2026

"पुलिस की दस्तक, अपराधी के घर तक" अभियान के तहत जनपद के 335 हिस्ट्रीशीटर पुलिस की सतत निगरानी में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में 46 पुलिस टीमों का गठन, थानावार सघन सत्यापन एवं निगरानी अभियान जारी

"दुराचारी की बन्द हुई मनमानी, हर पल-हर क्षण पुलिस की निगरानी"—अपराधियों में कानून का भय, आमजन में सुरक्षा का विश्वास

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में हिस्ट्रीशीटरों की सघन निगरानी एवं सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त चिन्हित हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध नियमित निगरानी, सत्यापन, गतिविधियों का परीक्षण तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, जिससे अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ हो सके।

अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जनपद में कुल **46 पुलिस टीमों** का गठन किया गया है, जो अपने-अपने थाना क्षेत्रों में हिस्ट्रीशीटरों के निवास स्थानों पर पहुंचकर उनकी वर्तमान गतिविधियों का सत्यापन कर रही हैं तथा उन्हें अपराध से दूर रहने की कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी जा रही है।

जनपद के सर्किल नगर में कुल **335 हिस्ट्रीशीटर** चिन्हित हैं, जिनमें थाना **कोतवाली** क्षेत्र के **106,** थाना **सिधारी के 87,** थाना **रानी की सराय के 80** तथा थाना **कन्धरापुर के 62 हिस्ट्रीशीटर** शामिल हैं। सभी के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरंतर निगरानी एवं सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ पुलिस का संदेश—

"पुलिस की दस्तक, अपराधी के घर तक।"

"दुराचारी की बन्द हुई मनमानी, हर पल-हर क्षण पुलिस की निगरानी।"

आजमगढ़ पुलिस अपराधियों के विरुद्ध **जीरो टॉलरेंस नीति** के तहत निरंतर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है तथा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 10.07.2026
थाना – रौनापार, जनपद – आजमगढ़

• किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ थाना रौनापार पर वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 02.07.2026 को उनकी 16 वर्षीय पुत्री के चांदपट्टी बाजार जाने के बाद घर वापस न लौटने के संबंध में मु0अ0सं0 174/2026 धारा 87 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान 16 वर्षीय पुत्री को सकुशल बरामद कर उसके बयान दर्ज किए गए, जिसमें अभियुक्त आकाश निषाद पुत्र मोहन निषाद निवासी ग्राम सरदौली गड़थौली, बूढ़ानपुर केवटहिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। 16 वर्षीय पुत्री के बयान एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस तथा धारा 5(j)(2)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार** के आदेश के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व तथा थानाध्यक्ष रौनापार के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.07.2026 को अभियुक्त आकाश निषाद (उम्र लगभग 26 वर्ष) को उसके घर ग्राम सरदौली गड़थौली, बूढ़ानपुर केवटहिया से समय करीब 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को मौके पर दी गई तथा अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आकाश निषाद पुत्र मोहन निषाद, निवासी ग्राम सरदौली गड़थौली, बूढ़ानपुर केवटहिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 174/2026, धारा 87, 65(1) बीएनएस एवं 5(j)(2)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 पिंकी आर्या, थाना रौनापार।
2. का0 अवधेश यादव, थाना रौनापार।
3. का0 सुधाकर यादव, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना – फूलपुर, जनपद – आजमगढ़

• इंस्टाग्राम पर कपड़ा खरीदने के नाम पर हुई साइबर ठगी के मामले में पीड़ित के ₹9,886 वापस कराए गए

• साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर की त्वरित कार्रवाई से न्यायालय के आदेश के उपरांत पीड़ित को मिली धनराशि

शिकायतकर्ता अंगद राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी ग्राम भोरमऊ, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 31.01.2026 को इंस्टाग्राम पर कपड़ा खरीदने के दौरान अज्ञात लिंक के माध्यम से साइबर ठगी कर उनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से ₹10,094 की धोखाधड़ी कर ली गई थी। घटना के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की गई धनराशि में से ₹9,886 अभियुक्त के बैंक खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए होल्ड कराई गई ₹9,886 की धनराशि शिकायतकर्ता के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।

आवेदक का विवरण-

अंगद राजभर पुत्र सुरेश राजभर, निवासी ग्राम भोरमऊ, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

वापस कराई गई धनराशि- ₹9,886

साइबर पुलिस टीम- उ0नि0 दयानन्द, म0का0 पूजा पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

मारपीट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव पुलिस ने मारपीट के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाठी बरामद की है।

उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा रमेश राजभर पुत्र सीताराम राजभर निवासी ग्राम लहुवा खुर्द, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोप लगाया गया था कि विपक्षीगण द्वारा उनके साले के लड़के सुनील एवं साढ़ू के लड़के सतीश के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडा एवं लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे सतीश के सिर में गंभीर चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचे सुनील के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 236/2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम मंगला यादव, धीरज यादव एवं पवन यादव निवासी लहुवा खुर्द (लटेहरा), थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक रविन्द्रनाथ पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 10.07.2026 को उपनिरीक्षक रविन्द्रनाथ पाण्डेय प्रभारी चौकी लालगंज मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त के दौरान अभियुक्त **पवन यादव पुत्र मंगला यादव निवासी लहुवा खुर्द (लटेहरा), थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़** को कैथीशंकरपुर अंडरपास के पास से प्रातः 02:19 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **एक अदद लाठी** बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त- पवन यादव पुत्र मंगला यादव निवासी लहुवा खुर्द (लटेहरा), थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 236/2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 अदद लाठी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय, प्रभारी चौकी लालगंज, थाना देवगांव
- का0 सूर्यकान्त तिवारी, चौकी लालगंज, थाना देवगांव
- रि0का0 मन्टू कुमार, चौकी लालगंज, थाना देवगांव
- रि0का0 अवधेश कुमार, चौकी लालगंज, थाना देवगांव

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

जमीनी विवाद व शांति भंग की आशंका पर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, अलग-अलग गांवों में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में थाना तरवां पुलिस द्वारा अलग-अलग गांवों में जमीनी विवाद, पुरानी रंजिश एवं लोगों को डराने-धमकाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 13 व्यक्तियों को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना तरवां पुलिस द्वारा लंबित विवेचना एवं प्रार्थना पत्रों की जांच के दौरान ग्राम पट्टीभिखारी में अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र सामा यादव निवासी पट्टीभिखारी को विपक्षी पक्ष को लगातार धमकी देकर पुनः संज्ञेय अपराध कारित करने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में ग्राम पकड़ी कला में जमीनी हिस्सेदारी के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने होकर मारपीट पर आमादा हो गए थे। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी गंभीर संज्ञेय अपराध की संभावना को देखते हुए **नन्दलाल पुत्र झामु**, **शेरू राजभर पुत्र फूलचन्द्र राजभर**, **जोगीन्द्र राजभर पुत्र बसन्ता राजभर** तथा **पुष्पा राजभर पत्नी जोगीन्द्र राजभर** को गिरफ्तार किया गया।

इसके अतिरिक्त ग्राम भिलिहिली में जन्मदिन की पार्टी एवं पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद एवं मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करते हुए **श्यामलाल पुत्र रामकरन**, **बृजनाम पुत्र स्व. फेकू राम**, **भीमसेन पुत्र स्व. फेकू राम**, **दिनेश कुमार पुत्र हरिनाथ राम**, **अंजेश कुमार पुत्र दुखी राम**, **रंजना पत्नी राकेश**, **गणेश राजभर पुत्र रामाधार** तथा **रूप नारायण पुत्र अलगू राम** को गिरफ्तार किया गया।

सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उपनिरीक्षक राम प्रसाद यादव, उपनिरीक्षक सैना कुमार, मुख्य आरक्षी महेन्द्र यादव, आरक्षी मनीष, आरक्षी अखिलेश पाण्डेय, आरक्षी अंकित त्रिपाठी, आरक्षी अभिषेक सिंह, महिला आरक्षी ज्योति सोनकर एवं महिला आरक्षी सुनीता यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र बनाने एवं बेचने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महराजगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.07.2026 को सहदेवगंज-शंकरपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान **अरविन्द पुत्र स्व. भिखारी राम, निवासी आराजी बगहवा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 39 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से **एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर एवं एक जीवित कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ। इस संबंध में थाना महराजगंज पर **मु0अ0सं0- 164/2026** धारा **3/25 आयुध अधिनियम** के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

बरामदगी- 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, उ0नि0 अवधेश कुमार यादव, कांस्टेबल अजीत कुमार सिंह, कांस्टेबल अनिल कुमार एवं रिजर्व कांस्टेबल अभिरंजन कुमार।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 10.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना रौनापार में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को **जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक-18.10.2014 को वादी मुकदमा उ0नि0 अनिल चन्द्र तिवारी तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनापार जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त शिवशंकर पटेल पुत्र अलगू निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-204/2014 धारा-272,273 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 10.07.2026 को मा0 न्यायालय FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त शिवशंकर पटेल पुत्र अलगू निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 10.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**
थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 3 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-30.09.2024 को वादी विनोद चौहान पुत्र स्व0 श्रीराम चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्तगण 1. शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र 2. राम सेवक चौहान पुत्र छांगुर 3. सुरेन्द्र पुत्र राम सेवक चौहान निवासीगण आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के पिता श्रीराम चौहान को गोली मारकर हत्या कर देना।**

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 417/2024 धारा-103(1)/3(5), 61(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 12 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 10.07.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र 2. राम सेवक चौहान पुत्र छांगुर 3. सुरेन्द्र पुत्र राम सेवक चौहान निवासीगण आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
मारपीट व जानलेवा हमले के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद

थाना बिलरियागंज पुलिस ने मारपीट एवं जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो डण्डे बरामद किए हैं।
दिनांक 05.07.2026 को वादिनी द्वारा थाना बिलरियागंज पर प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर नामजद एवं अन्य व्यक्तियों ने उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए जियाउद्दीन, अलाउद्दीन तथा अन्य पर लाठी-डण्डों एवं लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 183/2026 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
विवेचना के क्रम में दिनांक 10.07.2026 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम छिछोरी स्थित नहर पुलिया के पास से मुकदमे में वांछित अभियुक्त **जावेद अहमद पुत्र सेराज अहमद** एवं **मो. कैफ पुत्र शाहबाज अहमद**, निवासीगण एकराम नगर, कस्बा व थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि मारपीट में प्रयुक्त डण्डों को नहर पुलिया के समीप झाड़ियों में छिपाकर रखा है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त **02 डण्डे** बरामद कर विधिक कार्यवाही पूर्ण की। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डे (आलाजुर्म)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जावेद अहमद पुत्र सेराज अहमद निवासी एकराम नगर, कस्बा व थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. मो. कैफ पुत्र शाहबाज अहमद निवासी एकराम नगर, कस्बा व थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा, उ0नि0 रतन सिंह पटेल, हे0का0 गांधी यादव, हे0का0 दीपक यादव, का0 सुमित राव, का0 नन्दलाल चौहान, का0 रवि यादव एवं रि0का0 आशुतोष सिंह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।